Hanuman Langur" by two Harvard researchers, Dr. Daniel 'Bruce Hrdy and Dr. (Mrs) Sarah B. Hrdy. to be assisted by a research student Miss Sylvia Howe, was also approved. Both projects are affiliated to Zoology Department of Jodhpur University of which Prof. S. D. Misra is the Head The first project aimed at a study of behaviour and demography of male langurs and involved observation study of langur troops at Mt. Abu. Mr. Moore came to India in September, 1979 and has been working on his project till recently. The researchers on the second project have yet to start their work. Dr (Mrs.) Hrdy accompanied by Research Assistant Miss Sylvia Howe, it is learnt came to India in February, 1980. Dr. (Mrs.) Hrdy left about three weeks later after preliminary consultations in Jodhpur, etc. in connection with the proposed research project. Miss Howe, however, stayed back in India for observation of langurs.

Recently there were press reports about two American researchers having entered the Ranthambore Tiger Reserve in Rajasthan for their field study against wild-life regulations. The Ministry of Agriculture had on a proposal from Prof. S D Misra conveyed its no objection to observational studies of the Hanuman langurs and collection of blood samples by the American researchers and their Indian counterparts in the forests of Rajasthan subject to conditions and discipline that may be imposed by the Wild Life authorities of Rajasthan.

In view of the complaint about the alleged breach of wild-life rules by the researchers, the approval for conducting the research studies has been withheld pending a detailed enquiry into the matter.

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिला

3294. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए और उनमें से कितने छात्रों को दाखिला दिया गया ;

(ख) दाखिला देने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या है और क्या उन्हें दाखिला देते समय इस मानदण्ड का पालन किया गया है, और

(ग) जिन छात्रों को दाखिला नहीं मिला है उनके बारे में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

शिक्षा और स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग), जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में दाखिला के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि 30 जन, 1980 थी और डाक द्वारा प्राप्त पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्रों को अभी भी पंजीकृत किया जा रहा है । विश्वविद्यालय ने 30 जून, 1980 को या उससे पहले डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों पर भी विचार करने का निर्णय किया गया है ताकि डाक में देरी के कारण किसी इच्छुक उम्मीदवार को कोई कठिनाई न हो । अत इस समय न तो आवेदन पत्रों की सही संख्या ही दी जा सकती है और न ही दाखिल किए गए उम्मीदवारों की संख्या ही बताई जा सकती है क्योंकि दाखिले की प्रक्रिया अभी हाल ही में आरम्भ की गई है और इसको अन्तिम रूप देने में कुछ समय लगेगा ।

विश्वविद्यालय द्वारा दाखिला के सम्बन्ध में अपनाई गई मार्गदर्शी रूपरेखाएं दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1 विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति को निम्नलिखित नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है ।

(i) शैक्षणिक योग्यता तथा उच्च कोटि की क्षमताओं वाले छात्रों के दाखिले को सुनिश्चित करना , ताकि इसके छात्र राष्ट्रीय निर्माण तथा सामाजिक परिवर्तन संबंधी कार्य में सार्थक ढंग से अपनी भूमिका निभा सकें ।

(ii) इस बात का सुनिश्चित करना कि इस विश्वविद्यालय में हमारे समाज के कमजोर तथा पीड़ित वर्गों के छात्र पर्याप्त संख्या में दाखिल किये जाएं ; और

(iii) देश के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को पर्याप्त संख्या में दाखिला देकर, विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय स्तर को बनाये रखना ,

2 शैक्षणिक योग्यता एवं अन्तर्निहित क्षमताओं से संबंधित मूल्यांकन के तरीके भिन्न-भिन्न विषय के लिये भिन्न-भिन्न हो सकते है और इन्हें संबंधित केन्द्रों के निर्णय पर ही छोड़ देना चाहिए ।

3. समाज के शोषित वर्गों के छात्रों को पर्याप्त संख्या में दाखिल करने की बात को सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक वंचन की एक सूची तैयार की जानी चाहिए और प्रवेश प्रक्रिया के दो स्तरों अर्थात् आवेदन पत्रों की जाँच से तथा वास्तविक प्रवेश में इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

4. निम्नलिखित सूचकों पर, प्रत्येक के सामने दिये गये महत्व को ध्यान में रखते हुए सामाजिक वंचन की एक सूची तैयार की जानी चाहिए :

(क) आर्थिक वंचन	7
(i) 400 रु० प्र० मा० से कम	7
(ii) 400 से 500 रु० प्र० मास तक	6
(iii) 500 - से 600 रु० प्र० मास तक	5
(iv) 600 - से 700 - रु० प्रति-मास तक	4
(v) 700 - से 800 रु० प्रति-मास तक	3
(vi) 800 से 900 रु० प्रति-मास तक	2
(vii) 900 - से 1000 रु० प्रति-मास तक	1
(ख) सामाजिक वंचन	9
(i) अनुसूचित जनजाति	9
(ii) अनुसूचित जाति	9
(iii) पिछड़ा वर्ग	6
(iv) शैक्षिक तौर पर पिछड़े तथा वंचित अन्य वर्ग दल	3
(ग) क्षेत्रीय वंचन	4
(i) चौथे चतुर्थक के जिले	4
(ii) तीसरे चतुर्थक के जिले	2

बशर्ते कि मूल जिला साधारणतया वही जिला हो जहां कि आवेदक हाई स्कूल के लिए अध्ययन करता है।

5. मौखिक लिखित प्रवेश परीक्षा हेतु बुलाये जाने वाले छात्रों की एक सूची तैयार करने के लिए, निम्नलिखित आधार पर एक योग्यता सूची तैयार की जानी चाहिए :

(i) पिछली परीक्षा परीक्षाओं में प्राप्त अंक	80%

संबंधित विषय में स्नातक अथवा स्नातक (आनर्स) को अधिक महत्व दिया जाए; सहायक अथवा अन्य विषयों में स्नातक अथवा स्नातक (आनर्स) अन्य स्नातकोत्तर डिग्रियों/डिप्लोमा शिक्षण तथा अनुसंधान अभि-विन्यास तथा अनुभव और प्रकाशनों पर संबंधित केन्द्र द्वारा केन्द्र की छात्र संकाय समिति के परामर्श से निर्णय लिया जायेगा, बशर्ते कि उन विश्वविद्यालयों की स्नातक डिग्री को, जिनमें आनर्स कार्यक्रम नहीं हैं, स्नातक (आनर्स) के बराबर समझा जाए।

(ii) सामाजिक वंचन का अभिसूचक	20%

बशर्ते कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के उन सभी आवेदकों को, जो अध्यादेशों के संदर्भ में पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, प्रवेश परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाए।

6. निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाने वाली योग्यता सूची के अनुसार दाखिला दिया जाना चाहिए ;

	एम० लि०	एम०ए० पी०एच०डी०
(क) शैक्षणिक योग्यता (80)		
(i) पिछली परीक्षा परीक्षाओं में प्राप्त अंक	20	30
(ii) मौखिक परीक्षा	40	30
(iii) लिखित परीक्षा	20	20
(ख) सामाजिक वंचन का अभिसूचक	20	20

बशर्ते कि उपरोक्त क (i) की जांच 5 (i) के अन्तर्गत दिये गये स्पष्टीकरण के संदर्भ में की जाए।

7. यद्यपि, देश के विभिन्न भागों से आने वाले छात्रों के दाखिले, को सुनिश्चित करने हेतु कोई महत्व देने संबंधी योजना नहीं सुझायी जा रही है, फिर भी यह आशा की जाती है कि विश्वविद्यालयों में दाखिला देते समय केन्द्र तथा स्कूल इस पहलू को ध्यान में रखेंगे।

8. अन्य बातें समान होने पर उन छात्रों को वरीयता दी जानी चाहिए जो खेलों तथा अन्य अतिरिक्त पाठ्यचर्या संबंधी कार्यकलापों में प्रमाणित रूचि रखते हैं।

9. विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि प्रथम अनुसूचि में उल्लेख किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए कि भारत से बाहर के, विशेषकर विकासशील देशों के छात्र विश्वविद्यालय में, पर्याप्त संख्या में दाखिला लें।

10. यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि एम० फिल०पी ०एच०डी० स्तर पर दाखिला केवल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को स्नातकोत्तर डिग्री धारकों तक ही सीमित न रखा जाए । छात्रों के इस वर्ग को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वातावरण में शिक्षित किया गया है, अतः इस पर्यावरण में अनुसंधान करने के लिए उपयुक्तता की जांच करने में, इन छात्रों का सामान्यतः अन्य छात्रों से, स्थान ऊपर ही रहेगा । तथापि, इससे विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय स्वरूप का प्रतिवाद नहीं होगा । विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि इस स्तर पर दाखिले का क्षेत्र स्नातकोत्तर स्तर पर दाखिले के क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक व्यापक होता है ।

11 छात्र संकाय समितियों को दाखिले की प्रक्रियाओं से, जांच विद्धान्तों को लागू करने और (6) में दिए गए स्वीकृत सूत्र के अनुसार योग्यता सूची तैयार करने के स्तर पर, संबंद्ध किया जाना चाहिए ।

Prices of Levy and Free Sale Sugar

3299. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any latest estimates of cost of sugar production (per kg.);

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) retail prices of levy and free sale sugar separately, month-wise from January to May, 1980?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) and (b). The latest estimates of cost of production of sugar were made for fixing the prices of levy sugar for 1979-80, which were notified on 17th December, 1979. According to these estimates, the weighted average of the all-India ex-factory cost of sugar is Rs. 2.56 per kg. as per break-up given below:

	Rs. per kg.
(i) Cost of cane . .	1.64
(ii) Conversion cost .	0.69
(iii) Return . . .	0.23
TOTAL . . .	2.56

(e) Since the re-introduction of partial control on sugar with effect from 17-12-79, the retail price of levy sugar has been fixed at Rs. 2.85 per kg. throughout the country. The retail prices of free sale sugar in principal markets during the period January to May, 1980 are indicated in the statement attached.

Statement

RETAIL PRICES OF SUGAR IN PRINCIPAL MARKETS

(Rupees/Kg.)

As on 1980	Delhi	Kanpur	Calcutta	Bombay		Madras
	G-30	D-30	D-30	G-30	D-30	E-30
1	2	3	4	5	6	7
January	4.60	4.50 (9th)	4.50	4.80	4.70	4.70
7th						
15th	4.55	4.60 (14th)	4.50	4.60	4.50	4.20 (14th)
22nd	4.50	4.40	4.60 (21st)	4.60	4.50	4.25
30th	4.60	4.45	4.80	5.10	5.00	4.75